भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2278

शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करना

2278. श्री संजय सेठ:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत की लॉजिस्टिक्स और ऑर्डर पूर्ति अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे निवेश किस प्रकार सरकार की डिजिटल वाणिज्य को बढ़ावा देने और खुदरा व्यापार के आधुनिकीकरण संबंधी नीति के अनुरूप हैं;

(ग) क्या इन पहलों से भंडारण और वितरण सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित होने तथा कार्य की दशाओं में सुधार होने की अपेक्षा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से टियर-2 और टियर-3 शहरों में आम जनता के लाभ के लिए सेवा प्रदायगी बेहतर बनेगी?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सरकार देश में लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति अवसंरचना को मजबूत करने तथा डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देने और खुदरा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनियों सहित विनिर्माण और अवसंरचना विकास हेतु विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। इस तरह के निवेश से आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता बढ़ने, व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच में सुधार, विशेष रूप से एमएसएमई तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों

में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ऐसे उपायों का विवरण निम्नानुसार है:

i. भारत ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीतियों को उदार बनाने के उद्देश्य से कई सुधारों की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य आर्थिक विकास में तेजी लाना और विदेशी पूंजी अंतर्वाह को प्रोत्साहित करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक अनुकूल नीति लागू की है, जिसमें कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्र स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। 90% से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत प्राप्त होता है।

ii. पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) को राजमार्गों, रेलवे, पत्तनों, हवाई अड्डों, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और अंतर्देशीय जलमार्गों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने, पारगमन समय व लागत को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करने के लिए अवसंरचना विकास परियोजनाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

iii. देश में त्वरित और समावेशी विकास के लिए एक प्रौद्योगिकीय रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत प्रभावी, मजबूत, सतत और भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सितंबर, 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) शुरू की गई थी। एनएलपी के उद्देश्यो में से एक उद्देश्य भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना है, ताकि देश वैश्विक मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके। डीपीआईआईटी द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से लॉजिस्टिक्स लागत के संबंध में किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत के जीडीपी के लगभग 7.97% रहने का अनुमान है, जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के समतुल्य है।

iv. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पहल की भी शुरुआत की है। ओएनडीसी एक निष्पक्ष, अंतर-प्रचालन योग्य और ओपन नेटवर्क है, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित छोटे विक्रेताओं को किसी एक स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निर्भरता के बिना डिजिटल कॉमर्स में भाग लेने में सक्षम बनाता है। ओएनडीसी, अलग-अलग काम करने वाले पारंपरिक ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के विपरीत, एक ओपन ईकोसिस्टम बनाता है, जहां विक्रेता प्लेटफॉर्म-विशिष्ट निबंधन और शर्तों की सीमाओं में बंधे बिना कई प्लेटफार्मों से ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। ओएनडीसी यह सुनिश्चित करता है कि छोटे व्यवसाय, स्थानीय व्यापारी और एमएसएमई, उभरते हुए ई-कॉमर्स वातावरण के डिजिटल दायरे से बाहर न छूट जाएं और इन वर्गों को ई-कॉमर्स के परिवेश में ओपन प्रोटोकॉल के माध्यम से आकार, पैमाने तथा डिजिटल विशेषज्ञता के संदर्भ में निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण रूप से खोजे जाने के अवसर प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाता है। ओएनडीसी ने छोटे और ग्रामीण विक्रेताओं के लिए अंतिम छोर तक आपूर्ति, भंडारण और पूर्ति विकल्पों को बेहतर बनाने के लिए कई लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी की है।

v. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक ही फ्रेमवर्क में समेकित और सरल बनाने तथा संगठित, असंगठित, गिग, प्लेटफॉर्म और स्व-नियोजित श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से दिनांक 21.11.2025 को लागू किया गया है। यह संहिता गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों के निर्माण का प्रावधान करती है। यह संहिता इन कल्याणकारी स्कीमों के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का प्रावधान

करती है। संहिता में गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण के प्रयोजनों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है।

(घ): ओएनडीसी का ओपन-नेटवर्क आर्किटेक्चर यह सुनिश्चित करता है कि सेलर ऐप, बॉयर ऐप या लॉजिस्टिक्स प्रदाता द्वारा सिंगल एकीकरण स्वचालित रूप से पूरे नेटवर्क में सेवाएं प्रदान करने में मदद करे, इसमें छोटे शहर भी शामिल हैं, और इसके लिए हर क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग व्यावसायिक योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह गैर-महानगरीय क्षेत्रों में सेवाएं देने के इच्छुक प्रतिभागियों के लिए बाजार में प्रवेश करने की लागत को कम करता है।

वर्ष 2026 तक, नेटवर्क की पहुंच 600 से अधिक शहरों तक फैल चुकी है, जिसमें विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के विक्रेताओं के बीच भारी वृद्धि देखी गई है। यह छोटे स्थानीय व्यवसायों को भी बड़े महानगरों में स्थित कंपनियों के समान ही नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करता है।

वेयरहाउसिंग क्षमताओं के लिए ओएनडीसी और डाक विभाग के सहयोग ने दूरदराज के क्षेत्रों के विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स तक पहुंच में सुधार किया है। इसके अलावा, डाक विभाग को एक लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता के रूप में शामिल करने से उन छोटे शहरों और ग्रामीण पिन कोडों में अंतिम छोर तक डिलीवरी की पहुंच मजबूत होती है, जहां पारंपरिक रूप से निजी कूरियर कंपनियों की संख्या कम रही है।

छोटे किराना स्टोरों और खुदरा व्यापारियों को डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क से जोड़ने के लिए ओएनडीसी की एक पहल, डिजीदुकान, वर्तमान में हैदराबाद और जयपुर में संचालित है। इसे वितरकों और थोक विक्रेताओं के नेटवर्क से सहायता मिल रही है, जिससे किराना दुकानों और वितरण नेटवर्क द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी आ रही है।
